तूत्तुक्कुडि पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1979

(भारत के राजपत्र में दिनांक 1.03.1979 करे प्रकाशित)

सा0का0नि0 98 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की उप धारा 128 एवं धारा 28 के साथ पठित धारा 24 की उप धारा (I) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् :–

I **लघु शीर्ष एवं आरंभ :**

1 ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1979 कहे जाएं। ये, 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी होंगे।

2 **परिभाषा :** इन विनियमों में, अन्यथा जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :

(ए) ''बोर्ड'' ''अध्यक्ष'' एवं ''उपाध्यक्ष'' का अर्थ, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में निहितानुसार होगा।

(बी) ''उप संरक्षक'' का तात्पर्य पत्तन के उप संरक्षक एवं वह अधिकारी जिसके निदेश एव प्रबंधन से पायलटेज की जिम्मेदारी होती है।

(सी) ''हार्बर मास्टर'' का तात्पर्य अधिकारी जिसे उप संरक्षक द्वारा समय समय पर, दिए जाने वाले ऐसे कार्यों को करने हेतु, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(डी) ''लिमिट्स ऑफ कम्पस्ल्री पायलटेज वॉटर्स'' का तात्पर्य, भारतीय पत्तन संघ 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन पत्तन के संबंध में परिभाषित किया गया है।

(ई) ''पायलट'' का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा विधिवत् नियुक्त एवं लाइसेन्सड्ड व्यक्ति, बशर्ते कि केन्द्र सरकार द्वारा, उप संरक्षक/हार्बर मास्टर द्वारा के निदेशानुसार किसी भी वेसल को पत्तन में पायलट करने हेतु प्राधिकरण प्राप्त है।

3 **हार्बर मास्टर का पायलटों पर नियंत्रण :**

हार्बर मास्टर, पत्तन में किसी भी बर्थिंग या अन्बर्थिंग या मूरिंग या पत्तन में प्रवेश करने या छोडने के दौरान वेसलों के लिए प्रभारित पायलटेज़ पर नियंत्रण रखेंगे।

4 **लाइसेन्स्ड किए जाने वाले पायलट :**

(i) हरेक पायलट को, तूत्तुक्कुडि पत्तन के लिए पायलट की ड्यूटियों को निष्पादन करने हेतु का लाइसेन्स रखना होगा, बशर्ते कि केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त की गई है, और जारी किया गया अथवा बोर्ड द्वारा प्रतिसंहरण किया गया है।

(ii) पायलट जिसने बोर्ड से अपने संबंध का पृथक्करण कर लिया है तो उसे अपने लाइसेन्स को बोर्ड को जमा करना होगा।

5 **पायलट सर्विस में कार्यग्रहण करने की शर्तें :**

किसी भी व्यक्ति को पायलट के रूप में लाइसेन्स नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर देता कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है :

(ए) तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 1979 के विनियम 15 (1) एवं 15 (2) में दी गई योग्यता की शर्तें।

(बी) कि परिवीक्षा पायलट के रूप में नियुक्ति की तारीख पर, उनकी आयु 24 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं है।

''बशर्ते कि ऊपर की आयुसीमा को बोर्ड द्वारा शिथिलन किया जा सकता है''।

(i) उन उम्मीदवारों के मामले में, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्थात् भारतीय रक्षा दलो के पूर्व कर्मचारी, और जिन्होंने रक्षा बलों में छः महीने से कम की लगातार सेवा नहीं की है सहित ऐसे भूतपूर्व सैनिक कार्यवाही के दौरान मृत के आश्रित के लिए आरक्षित रिक्ति को भरे जाने की रिक्ति में तीन साल और अनारक्षित रिक्ति में भरी जाने वाली रिक्ति में रक्षा दलों में उनके द्वारा इस हद तक सेवा गई हो, तो शामिल किया जाना है।

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हित में अधीन सेवाओं या पदों की नियुक्ति के लिए समय समय पर जारी किए गए अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे आदेशों के अनुसरण में हैः

(सी) और कि नीचे विनियम 6 में विस्तृत अर्हताओं को रखता है

6 **उम्मीदवारों की अर्हता**

(ए) भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया मास्टर (फारन गोइंग) के रूप में सक्षमता का प्रमाण रखना या उसके समतुल्य और फॉरन गोइंग शिप पर फस्ट मेट के रूप में कम से कम छः महीने का अनुभव रखा होना चाहिए ;

(बी) इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे मेडिकल प्राधिकारी से शारीरिक योग्यता का प्रमाण प्राप्त होना चाहिए

(सी) अच्चे आचरण एवं संयम का प्रमाण रखता है;

(डी) अन्यथा अगर बोर्ड निर्धारित करती है कि 6 महीने से कम की परिवीक्षा अवधि नहीं होनी चाहिए ; और हार्बर मास्टर द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण पूरा किए जाने की सिफारिश है तथा बशर्ते कि उप संरक्षक का अनुमोदन प्राप्त है, तो पायलटशिप में उनकी अर्हताओं को जांच किया जाना लागू होता है।

7 **परीक्षा का विषय :**

परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाना है अर्थात्

(i) पत्तन में नौचालन से संबंधी विनियम एवं नियम

(ii) पत्तन सीमाओं के अंदर किसी भी दो जगहों के बीच का मार्ग एवं दूरी

(iii) ज्वार भाटा का एब एवं फ्लो

(iv) ध्वनी की गहराई एवं स्वरूप

(v) पत्तन के अंदर, लंगरें, रॉक शॉल्स एवं अन्य खतरे, लेन्ड मार्क बॉयास एवं बीकन्स तथा लाइट्स

(vi) जहाज एवं स्टीमरों का प्रबंधन, उन्हें लंगर पर कैसे लाया लाए और ज्वार भाटा में उनके लंगरों को कैसे सलामत रखा जाए

(vii) सभी परिस्थियों के अधीन वेसल की सम्हलाई

(viii) मूर एवं अन्मूर और गीट अंडर–वे

(ix) पत्तन का हार्बर क्राफ्ट्स नियम

(x) पत्तन का सुरक्षा नियम

(xi) संगरोध नियम

(xii) भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) और महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ; और

(xiii) ऐसे अन्य विषय, जिसे इस ओर से परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया जाए

8 **परीक्षा समिति :**

नीचे दिए गए अनुसार गठित परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार परीक्षा आयोजित किया जाए :

(i) उप संरक्षक (अध्यक्ष)

(ii) हार्बर मास्टर, और उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नामित कोई और अन्य समुद्री अधिकारी

(iii) फॉरन गोइंग शिप का मास्टर

9 परीक्षा में उत्तीर्ण न होना :

अगर परिवीक्षार्थी, उनकी नियुक्ति के नौ महीने के अंदर, विशिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने में नाकाबयाब होता है, तो उसे नौकरी से बरख़ास्त किए जाने की संभावना है।

10 पायलट का ध्वज भेद :

(i) हरेक पायलट को ध्वज भेद की व्यवस्था की जाएगी, जिसे वेसल पर लहराया जाएगा, जिसका वह प्रभारी है और जिसे अन्य सिग्नलों से अलग स्वरूप में देखा जा सकता है।

(ii) उसी तरह के ध्वज को सिग्नल स्टेशन पर फहराया जाएगा, जो कि बोर्ड पर रहने वाले पायलट के साथ संपर्क का माध्यम बनेगा।

(iii) उप नियम (1) एवं (2) में निहित किसी के होते हुए भी , पायलट को पत्तन नियंत्रण के साथ वीएचएफ संपर्क का भी रखरखाव करना होगा और पत्तन नियंत्रण से आने वाले सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

11 पायलट द्वारा प्राधिकारी के आदेशों का पालन करना :

पयलट को बोर्ड, उप संरक्षक एवं / या हार्बर मास्टर द्वारा दिए गए या जारी सभी विधिवत् आदेशों तथा विनियमों का पालन एवं निष्पादन करना होगा।

12 **पायलट का आचरण :**

(i) हरेक पायलट को, वेसल के प्रभारी के सभी समय में सख्त अखंडता का अनुसरण करना होगा और उस वेसल की सुरक्षा, आसपास के अन्य सभी वेसलों की सुरक्षा एवं सभी पत्तन संस्थापन एवं क्राफ्टों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी तथा तत्परता से काम करना होगा।

(ii) उसे, अन्डर–वे के समय में वेसलों पर रहते समय लीड, इको–साउन्डर, रडार एवं/या अन्य कोई नौसंचालन उपकरण फॉइलिंग को जरूरत पडने पर, रखना होगा और वेसल के कमान के मालिक, मास्टर/अधिकारी से लिखित रूप में आदेश के बगैर वेसल को ग्राउन्ड करने हेतु ले नहीं करना है।

(iii) उप विनियम (2) में निहित प्रावधानों के होते हुए, पायलट को पत्तन , पत्तन के सभी पत्तन संपत्ति, संस्थापनों, नौचालन चेनल, अन्य जहाज एवं क्राफ्ट को, पत्तन के बहुव्यापी हितों एवं उसके प्रयोगकर्ताओं के हित में, जैसी भी स्थित हो, सुरक्षित रखने हेतु उचित कार्यवाही करनी होगी।

13 **वेसल... इत्यादि के मास्टर की ओर पायलट का आचरण :**

पयलट को उनके प्रभाराधीन के किसी भी वेसल के मालिक, मास्टर एवं अधिकारी की ओर शिष्टता से पेश होंगे। पायलट को, जब वेसल के मालिक या अधिकारी द्वारा उनके साथ किसी भी परिस्थिति में अशिष्टता के आचरण का सामना करना पडता है तो उसकी सूचना उस पायलट का तुरंत उप संरक्षकर को देनी होगी।

14 **पायलट को उनके द्वारा निष्पादित सेवाओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करना :**

(i) पायलट को, वेसल पर बोर्डिंग करने के उपरान्त, उस वेसल के मास्टर को आगमन/प्रस्थान की रिपोर्ट देनी है, जिस पर मास्टर अपने हस्ताक्षर के साथ

सभी आवश्यक विवरणों की प्रविष्टि रिपोर्ट में करेंगे।

(ii) यानांतरण एवं लंगर के प्रमाणों को पायलट द्वारा भरा जाएगा और पायलट का कार्यग्रहण समाप्त होने पर, हस्ताक्षर के लिए मास्टर को प्रस्तुत किया जाना है।

15 **पायलटों को सही समय में वेसलो को बोर्ड करना :**

वेसल के प्रभारी पायलट, जिन्हें वेसल को बाहर ले जाना है या जिसे, जो रूकी हुई है को बर्थ से हटाना है, को सही समय पर बोर्ड करते हुए उस समय पर नियुक्त कमान के मास्टर/अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी। पायलट को, तूत्तुक्कडि पत्तन में इस विषय पर लागू नियमों को पालन करना है।

16 **पायलटों को कार्यग्रहण के वक्त अपने लाइसेन्स... इत्यादि को साथ रखना :**

जब कभी भी पायलट ड्यूटी पर होते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने साथ उनका लाइसेन्स, पत्तन की कार्यालयीन ज्वार समय–सारणी, पत्तन नियमों की प्रति और समय समय पर लागू पायलटेज़ विनियमों की प्रति रखनी होगी।

17 **आवास एवं खान–पान के लिए प्रावधान :**

पायलटों को , आवश्यक पडने पर, उचित आवास को प्रबंध करते हुए सुबह 7 बजे से 9 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट, 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर का खाना और रात को 6 बजे से 8 बजे (भारतीय मानक समय) के अंदर खाने का प्रबंध किया जाएगा। पायलट, हार्बर में वेसल को लंगर या समीपवर्ती पर छोडकर खाना खाने जा सकता है अगर उसे वहाँ खाने का प्रबंध नहीं किया गया हो। इस विषय को फिरभी, उप संरक्षक, हार्बर मास्टर के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

18 **पायलट को सुनिश्चित करना है कि लंगर छोडने हेतु तैयार है :**

बाहर पाल किए जाने वाले वेसल पर पायलट को वेसल के प्रभारी मास्टर/अधिकारी से यह सुनिश्चित करना होगा कि वेसल, अपने इंजिनों, स्टीरिंग गेयर, टेलीग्राफ,

विन्डलेस, मूरिंग विन्चस, नेवीगेशनल लाइट्स तथा सिग्नल्स, ध्वनि सिग्नल के लिए विसिल/सैरन के संबंध में सभी पहलुओ में और लंगर को तुरंत छोडने पर वेसल तैयार है।

19 **पायलट द्वारा सबूत देना :**

पायलट, उप संरक्षक की अनुमति के बगैर, किसी भी उप अंकाधीन, किसी भी पार्टी के संबंध में ना ही सबूत देगा या किसी भी जांच पडताल के दौरान साक्ष्य बनेगा और उप अंकाधीन उप संरक्षक को लिखित रूप में उसकी रिपोर्ट देगा।

20 **पायलट द्वारा नेवीगेशलन मार्ग... इत्यादि में किसी भी बदलाव की सूचना देना :**

पयलट अगर, चेनल की गहराई में बदलाव या किसी भी बॉया, बीकन या लाइट वेसल को दूर होते हुए या टूटा हुआ, क्षति हुआ या अपनी जगह से हटा हुआ, या किसी भी परिस्थिति को जान जाता है जिससे सुरक्षित नेवीगेशन में प्रभाव पड सकता है तो उसे तुरंत ही इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट लिखित रूप में उप संरक्षक एवं हार्बर मास्टर को देनी होगी। उसे इसकी सूचना को हार्बर मास्टर के लॉग बुक में भी रिपोर्ट करना है।

21 **पायलट को आकस्मिकताओ का रिपोर्ट करना :**

पायलट को, उसके प्रभारी वेसल में किसी भी प्रकार की संभावना होने के तुरंत बाद ही, उस घटना से संबंधित रिपोर्ट, तथ्यों को, उप संरक्षक और या हार्बर मास्टर को देना होगा और यथा संभव इस सूचना को लिखित रूप में भी हार्बर मास्टर के जरिए उप संरक्षक को देनी होगी जिसमें क्षति होने के सारे विवरण, दुर्घटना का कारण और घटना घटने के 24 घंटों के अंदर देना उसकी जिम्मेदारी होगी।

22 हार्बर मास्टर को, वेसलों पर पायलटों की सेवाओं की जरूरत होने वाले पायलटों की उपस्थिति सूची का नियमन करते हुए उसे उप संरक्षक या हार्बर मास्टर के कार्यालय में रखना होगा और ऐसे वेसलों को आबंटित किए जाने वाले पायलटों (उनसे संबंधित वर्ग के संबंध में) की क्रमावर्ती को दिखाने वाली सूची को उप संरक्षक या हार्बर मास्टर के कार्यालय में रखनी होगी।

23 **बाहर जाने वाले वेसल के संबंध में पायलटों की ड्यूटी की शुरूआत :**

बाहर जाने वाले वेसलों पर पायलटों की ड्यूटी, ''स्टेशनस'' को बुलाए जाने पर के समय से शुरू होगी और वार्फ, पीयर, बर्थ, जेट्टी या लंगर पर, जैसे भी स्थिति हो, से समुद्र की ओर बाहर जाने वाले वेसलों की पायलटिंग के उद्देश्य के लिए, पायलट को नेवीगेशनल ब्रिज की ओर प्रस्थान करना होगा।

24 **बाहर जाने वाले वेसलों के संबंध में पायलटों की ड्यूटी खत्म होना :**

बाहर जाने वाले वेसलों के संबंध में पायलटों की ड्यूटी तब ही खत्म होगी, जब वे अनिवार्य पायलटेज वॉटर्स की सीमाओं तक वेसल को पायलट करते हैं (या अन्यथा ऐसी स्थिति तक जहाँ मास्टर या कमान अफसर यह सोचते हैं कि अब और आगे पायलट की सेवाओं की जरूरत नहीं है और या पायतट खुद यह महसूस करता है कि चालू परिस्थिति में, मास्टर/कमान अफसर समुद्र तक वेसल को सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं)।

25 **अंदर आने वाले वेसलों के संबंध में पायलटों की ड्यूटी की शुरूआत :**

पयलट की ड्यूटी वेसल को बोर्ड करने के बाद और हार्बर के अंदर , वेसल को अंदर लाने के लिए पायलटिंग के उद्देश्य से मास्टर से कार्यभार लेते हुए नेविगेशनल ब्रिज की तरफ बढकर, वेसल को अंदर लाना शुरू करता है और जब उक्त वेसल पत्तन की अनिवार्य पायलटेज़ सीमाओं के अंदर प्रवेश करता है।

26 **वेसल पर बोर्ड करने के बाद पायलट द्वारा ली जाने वाली कार्यवाही :**

वेसल पर बोर्ड करने के बाद, पायलट को :

(ए) सुनिश्चित करना है कि क्या, या समय समय पर लागू, पत्तन संगरोध नियमों में निर्दिष्ट स्वरूप की कोई भी छूआछूत बिमारी यात्रा के दौरान है; अगर है या रहा तो उसे तुरंत वेसल को लंगर पर डालना होगा और संगरोध का सिग्नल फहराना होगा और इस ओर, उक्त नियमों में निहित निर्देशों का पालन करना होगा।

(बी) वेसल की अद्यतन गहराई को सुनिश्चित करना है और देखना है कि दोनों लंगर को छोडने के लिए तैयार है; देखना है कि नेविगेशनल इंजिन को चालू किया गया है और समय समय पर पत्तन नियमों के अधीन आवश्यकतानुसार वेसल का नाम एवं अन्य कोई सिग्नल्स को दिखाता ध्वज लहराया गया है जो कि पत्तन के सिग्नल स्टेशन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

27 **अंदर आने वाले वेसलों के संबंध में पायलट की ड्यूटी खत्म होना :**

अंदर आने वाले वेसलों के संबंध में पायलट की ड्यूटी तभी खत्म होगी, जब वेसल को किसी वार्फ, पायर, बर्थ, जेट्टी या लंगर से, जैसी स्थिति हो, पर लंगर किया गया हो को सुरक्षित रूप से मूरिंग किया जाता है।

28 **वेसलों का संचलन :**

(ए) कोई भी पायलट, पत्तन सीमाओं के अंदर, किसी भी वेसल को,एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब ही लेजाएगा, हटाएगा या हटाने का निदेश देगा जब उस वेसल का मास्टर बोर्ड पर हो।

(बी) जहाँ वेसल का मास्टर, संचलन खत्म होने से पूर्व वेसल को छोड देता है, तो पायलट को, वेसल को ऐसे सुरक्षित स्थल पर लंगर किए जाने का निदेश देना होगा, जहाँ मास्टर आसानी से वहाँ पहुँच सकता है और वेसल के मास्टर के वापस आने तक, वेसल को संचलन किए जाने का निदेश नहीं देगा।

(सी) वेसल के संचलन के दौरान, ड्यूटी के लिए उपलब्ध एवं बोर्ड पर अधिकारियों एवं क्रू की संख्या, पर्याप्त संख्या से कम नहीं होगी, जो कि ऐसे किसी कामों के लिए जरूरी होता है; और वेसल पर बोर्ड करने वाला पायलट यह सोचता है कि संख्या पर्याप्त नहीं है तो, उसे वेसल के मास्टर को पत्तन नियमों की ओर आकर्षित करना होगा और संचलन करने को अस्वीकार करना होगा।

स्पष्टीकरण : इन विनियम में, ''मास्टर'' की व्याख्या में, अगर मास्टर द्वारा उसके कार्यालय कार्यों को निष्पादन करने से अक्षम पाया जाता है, तो ऐसे अवसर पर मास्टर के रूप में पूर्णतया प्राधिकृत अन्य किस अफ्सर या फस्ट अफ्सर को शामिल किया जाएगा।

29 **लाइसेन्स का गुम होना :**

पायलट जो अपना लाइसेन्स को खो देता है, को तुरंत इसकी सूचना उप संरक्षक को देनी होगी कि किस परिस्थिति में लाइसेन्स गुम हुआ है और उप संरक्षक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते कि गुम होना पायलट द्वारा दुराचरण नहीं माना जाएगा, तो पायलट को एक अस्थायी लाइसेन्स जारी कर सकते हैं जब तक कि बोर्ड द्वारा एक प्रतिलिपि लाइसेन्स जारी नहीं किया जाता ।

30 **पायलट द्वारा चार्टों का परीक्षण :**

हरेक पायलट को, उप संरक्षक या हार्बर मास्टर के कार्यालय को देखना होगा जिससे उन्हें पत्तन के अद्यतन प्लानों एवं चार्टों का ज्ञान हो सके ओर पत्तन से संबंधित कोई अन्य सूचना सुनिश्चित कर सके और तो और हरेक दिन अपनी पायलटेज़ ड्यूटी को पूरा करने के बाद, हार्बर मास्टर के लॉग बुक में प्रविष्टि भी करनी होगी।

31 **पायलटों की वर्दी :**

पायलट द्वारा ड्यूटी के समय वही वर्दी पहननी होगी जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

32 **व्याख्या :**

अगर इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो, उसे बोर्ड के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना है।